

लैंड स्क्वीज़ का वैश्विक प्रभाव

प्रलिस के लिये:

[सतत खाद्य प्रणालियों पर विशेषज्ञों का अंतरराष्ट्रीय पैनल \(IPES-खाद्य\), राष्ट्रीय भूमिकोर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम \(NLRMP\), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम \(NFSA\) 2013, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मशिन \(NMSA\)](#)

मेन्स के लिये:

सतत खाद्य प्रणालियों पर विशेषज्ञों के अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPES-खाद्य) की रिपोर्ट, भारत में भूमि उपयोग, लैंड स्क्वीज़ और खाद्य असुरक्षा के मुद्दे से नपिटने के लिये भारत की पहल से लैंड स्क्वीज़ के संबंध में मुख्य बातें

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?


[सतत खाद्य प्रणालियों पर विशेषज्ञों के अंतरराष्ट्रीय पैनल \(IPES-फूड\)](#) द्वारा हाल ही में कथि गए एक अध्ययन में अभूतपूर्व 'लैंड स्क्वीज़' पर ध्यान केंद्रति कथिा गया है, जसिसे कसिानों और खाद्य उत्पादन को खतरा है।

- भूमिसंकुचन से तात्पर्य उस स्थति से है, जहाँ वभिन्न प्रयोजनाओं (कृषि, शहरीकरण, बुनयिादी ढाँचे आदी) के लिये **भूमि की मांग उपलब्ध कृषि योग्य भूमि से अधिक** हो जाती है।


रिपोर्ट की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- इस रिपोर्ट में भूमि की बढ़ती कीमतों, भूमि पर कब्जा करने और कार्बन योजनाओं के कारण **प्रचलति "लैंड स्क्वीज़" की चेतावनी** दी गई है, जसिसे कसिानों एवं खाद्य उत्पादन को जोखमि हो सकता है।
- वैश्विक स्तर पर, **वशि्व के सबसे बड़े फार्मों में से शीर्ष 1%** अब **वशि्व की 70% कृषि योग्य भूमि** को नियंत्रति करते हैं।
 - जैसे-जैसे भूमि दुर्लभ हो जाती है, वैसे इसे **कृषि भूमि से अन्य उपयोगों में परिवर्तति** कथिा जा सकता है, जसिसे खाद्य उत्पादन प्रभावति हो सकता है।
- वर्ष **2008-2022** के मध्य **वैश्विक स्तर पर भूमि की कीमतें** दोगुनी हो गई हैं।
 - इस दौरान सर्वाधिक वृद्धि वशिष रूप से मध्य-पूर्वी यूरोप में देखी गई है, जहाँ कीमतों में तीन गुना तक वृद्धि हुई।
- पर्यावरण को आधार बनाकर **"ग्रीन ग्रैब्स"** के रूप में भूमि अधगिरहण हो रहा है, अब बड़े स्तर पर होने वाले **भूमि अधगिरहण में इसकी लगभग 20%** हसिसेदारी है।
 - **ग्रीन ग्रैबि** का तात्पर्य पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिये भूमि और संसाधनों के बड़े पैमाने पर अधगिरहण या नियंत्रण से है, जसिके अकसर नकारात्मक सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम होते हैं। यह मूलतः पर्यावरण संरक्षण को आधार बनाकर भूमि पर कथि गए कब्जे से संबंधति है।
- **कार्बन पृथक्करण परियोजनाओं** के लिये सरकारों द्वारा नामति कुल भूमि में से आधी से अधिक से छोटे स्तर के कसिानों एवं स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंध में संभावति जोखमि बना हुआ है।
 - अगले 7 वर्षों में **कार्बन ऑफसेट बाज़ार के चार गुना होने की उम्मीद** है।

THE GLOBAL STATE OF LAND INEQUALITY AND LAND CONCENTRATION



THE LAND SQUEEZE: WHAT IS DRIVING LAND INEQUALITY?



भूमि अधिग्रहण के पीछे मुख्य कारण क्या हैं?

- **अवैध अधिग्रहण:**
 - सरकारों, नगिमों और सट्टेबाजों द्वारा **बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण** से किसान और मूलनिवासी समुदाय वसिस्थापति हो रहे हैं ।
 - ये अधिग्रहण मुख्यतः **संसाधन नष्टिकर्षण** (खनन, लकड़ी कटाई) या **नरियातोनमुख कृषि के लिये होते हैं ।**
- **बढ़ती जनसंख्या और मांगें:**
 - **बढ़ती वैश्विक जनसंख्या** के साथ-साथ **भोजन, चारा, फाइबर और ईंधन** की भारी मांग के कारण भूमि की उपलब्धता पर व्यापक दबाव पड़ रहा है ।

■ वैश्विक खाद्य उत्पादन प्रणालियों में बदलाव:

- इसमें भूमि के बड़े क्षेत्रों को औद्योगिक कृषि जैसे कि **संकेन्द्रित पशु आहार प्रचालन (Concentrated Animal Feeding Operations- CAFO)** और एकल कृषि पद्धतियों के लिये स्थानांतरित करना शामिल है।
 - औद्योगिक कृषि फसलों और पशुओं का बड़े पैमाने पर, गहन उत्पादन है, जिसमें अक्सर फसलों पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और पशुओं पर एंटीबायोटिक दवाओं का हानिकारक प्रयोग शामिल होता है।
- इसके अलावा, **जैव ईंधन** और अन्य गैर-खाद्य उपयोगों के लिये भूमि की मांग में वृद्धि हुई है।

भारत में भूमि उपयोग की क्या स्थिति है?



भारत में भूमि उपयोग

भूमि उपयोग

जिस प्रकार भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों (आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि) के लिये किया जाता है।

भूमि उपयोग पर डेटा को वार्षिक आधार पर नौ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

भूमि-उपयोग रिकॉर्ड

- बनाए रखा जाता है:
 - भू-राजस्व विभाग द्वारा
- मापा जाता है:
 - भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा
- संग्रह:
 - कुल भौगोलिक क्षेत्रफल-329 मिलियन हेक्टेयर (रिपोर्टिंग क्षेत्र)
 - उपलब्ध आँकड़े - 305 मिलियन हेक्टेयर (गैर-रिपोर्टिंग क्षेत्र)

कुल क्षेत्रफल का 7% भूमि उपयोग की 9 श्रेणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल या वर्गीकृत नहीं है।


9 स्तरीय वर्गीकरण:

- वन: वन-संबंधित कानूनों के अनुसार सभी प्रकार की वन युक्त भूमि, चाहे राज्य के स्वामित्व वाली या निजी हो अथवा वृक्षयुक्त या संभावित वन भूमि।
- गैर-कृषि उपयोग: इमारतों, सड़कों, रेलवे या जल स्रोत वाली भूमि।
- बंजर और अनुपयुक्त भूमि: इसमें पहाड़, रेगिस्तान आदि शामिल हैं।
- स्थायी चरागाह और चरागाह भूमि: सभी चरागाह भूमि, चाहे चरागाह हों या नहीं।
- कृषि योग्य बंजर भूमि: भूमि कृषि के लिये उपलब्ध है लेकिन +5 वर्षों से उपयोग नहीं की गई है।
- परती भूमि (वर्तमान को छोड़कर): 1-5 वर्षों तक अस्थायी रूप से अप्रयुक्त।
- वर्तमान परती भूमि: फसली क्षेत्र चालू वर्ष में परती रखी गई भूमि।
- विविध. (पेड़, फसलें आदि): खेती योग्य भूमि 'बुवाई के शुद्ध क्षेत्र' में नहीं है, लेकिन कृषि के लिये उपयोग की जाती है।
- बोया गया शुद्ध क्षेत्र: फसलों और बगीचों सहित कुल क्षेत्रफल।

मुख्य पद

- भौगोलिक क्षेत्र: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के आँकड़ों को भारतीय महासर्वेक्षक के कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
- रिपोर्टिंग क्षेत्र: ऐसा क्षेत्र जिसके लिये भूमि उपयोग वर्गीकरण पर आंकड़े उपलब्ध हैं।
- सकल फसल क्षेत्र: एक वर्ष में एक या अधिक बार बोया गया कुल क्षेत्र।
- एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र: एक वर्ष में कई फसलों की बुवाई वाली भूमि।
- सिंचित क्षेत्र: नहरों, तालाबों, कुओं आदि द्वारा सिंचित भूमि।
- कुल/सकल सिंचित क्षेत्र: लगभग सभी प्रकार की भूमि एक या अधिक बार सिंचित होती है।
- कुल/सकल असिंचित क्षेत्र: सिंचाई रहित क्षेत्र।
- फसलीय तीव्रता: कुल फसलीकृत क्षेत्र से निवल बुआई क्षेत्र का अनुपात है।
- कृषि भूमि: इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र, परती भूमि, बंजर भूमि और बहुत कुछ शामिल है।
- कुल गैर-कृषि योग्य क्षेत्र: कुल जानकारी प्राप्त क्षेत्र से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- कुल कृषि योग्य क्षेत्र: शुद्ध बोया गया क्षेत्र और वर्तमान परती भूमि।
- कुल गैर-कृषि क्षेत्र: कुल जानकारी प्राप्त क्षेत्र से कुल कृषिकृत क्षेत्रफल को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

भारत में 2005-06 से 2020-21 तक भूमि उपयोग पैटर्न



Source: Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण

- बढ़ती जनसंख्या एवं विकासात्मक गतिविधियाँ
- कृषि विस्तार
- जलवायु परिवर्तन
- खनन
- भूमि अवक्रमण

लैंड स्क्वीज़ और खाद्य असुरक्षा के मुद्दे से नपिटने के लिये भारत की पहल:

- भूमि प्रबंधन एवं उपयोग:
 - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)
 - 10,000 FPO का गठन एवं संवर्द्धन
- उत्पादकता में सुधार और खाद्य अपशिष्ट को कम करना:
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
 - बागवानी के एकीकृत विकास के लिये मशिन (MIDH)
 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
- भूमि एवं मृदा संरक्षण के लिये कार्यक्रम:
 - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
 - सतत कृषि पर राष्ट्रीय मशिन (NMSA)

लैंड स्क्वीज़ के प्रमुख प्रभाव क्या हैं?

- किसानों एवं ग्रामीण समुदायों के लिये पहुँच और नियंत्रण में कमी:
 - **वसिस्थापन और नरिवासन:** भूमि कब्ज़ा और अन्य दबाव छोटे स्तर के किसानों तथा स्वदेशी समुदायों को उनकी भूमि से वंचित कर देते हैं, जिससे उनकी आजीविका व जीवन के पारंपरिक तौर-तरीके बाधित होते हैं।
 - **खाद्य सुरक्षा को खतरा:** खाद्य उत्पादन के लिये कम भूमि उपलब्ध होने से, समग्र खाद्य सुरक्षा, (खासकर स्थानीय समुदायों के लिये) खतरे में पड़ जाती है।
 - **मोलभाव करने की शक्ति:** भूमि स्वामित्व का नुकसान किसानों को शक्तिशाली कृषि व्यवसायों से अपने उत्पादों के लिये उचित कीमतों पर मोलभाव करने में असमर्थ बनाता है।
 - **नरिधनता में वृद्धि:** भूमि की सीमित पहुँच **ग्रामीण जनसंख्या** के लिये अवसरों को प्रतिबंधित करती है, जिससे वे नरिधनता के दुष्चक्र में फँस जाते हैं।
- पर्यावरण क्षरण:
 - **अस्थिर प्रथाएँ:** बड़े स्तर पर, नरियात-उन्मुख कृषि पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर भूमि उपयोग की प्रथाएँ जैसे **घनों की कटाई**, **मृदा का ह्रास और जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग** से अस्थिर हो जाती हैं।
 - **जैवविविधता हानि:** खनन, बुनयादी ढाँचे और औद्योगिक कृषि के लिये भूमि के रूपांतरण के फलस्वरूप प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं तथा जैवविविधता को खतरा होता है।
 - **जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि:** मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट और प्राकृतिक वनस्पति की हानि पारिस्थितिक तंत्र को कमज़ोर करती है, जिससे वे **जलवायु परिवर्तन** के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- सामाजिक अशांति और संघर्ष:
 - **संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा:** स्थानीय आबादी और नरिवाकों के बीच **सामाजिक अशांति एवं संघर्ष** भूमि संसाधनों की सीमित मात्रा के लिये प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं।
 - **IPES-फूड** द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारों ने **कार्बन पृथक्करण की परियोजनाओं** के लिये जो भूमि आवंटित की है, उसका **आधे से अधिक भाग** छोटे किसानों और स्थानीय समुदायों की आजीविका में हस्तक्षेप का खतरा उत्पन्न करता है।
 - **अस्थिरता और प्रवासन:**
 - भूमि और आजीविका के अवसरों की हानि से **ग्रामीण-शहरी प्रवासन** शुरू हो जाता है, जिससे शहरी संसाधनों एवं सामाजिक सेवाओं पर दबाव पड़ता है।

रिपोर्ट की क्या सफ़ारिशें हैं?

- **भूमि कब्ज़ा पर नियंत्रण:** भूमि कब्ज़े को नियंत्रित करने एवं स्थानीय समुदायों और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भूमि उपयोग नरिणय सुनिश्चित करने के लिये नीतियों एवं वनियमों की आवश्यकता है।
- **छोटे किसानों का समर्थन:** छोटे किसानों को **सशक्त** बनाने के लिये ग्रामीण बुनयादी ढाँचे में नरिवा, सुरक्षा भूमि स्वामित्व और वृत्तपोषण तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है।
- **सतत भूमि प्रबंधन:** उन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो मृदा के स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, जैवविविधता का संरक्षण करती हैं और **औसदीर्घकालिक खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करती हैं।**
- **नरिषेकष व्यापार नीतियाँ:** सतत कृषि को बढ़ावा देने और छोटे किसानों की आजीविका की रक्षा के लिये व्यापार समझौतों में सुधार किया जाना चाहिये।

नरिषेकष:

भूमि अधिग्रहण एक जटिल मुद्दा है जिसके लिये बहुआयामी समाधान की आवश्यकता है। अंतरनरिहित कारणों को संबोधित करके और छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों का समर्थन करके, हम भूमि की समान पहुँच सुनिश्चित कर हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं जिससे भविष्य के लिये अधिक सतत खाद्य प्रणाली का नरिमाण कर संभव हो सकेगा।

दृष्टि भिन्न प्रश्न:

प्रश्न. लैंड स्क्वीज़ के खतरों पर प्रकाश डालते हुए भारत के भूमि उपयोग पैटर्न और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल.) की श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत किये जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/global-impact-of-land-squeeze>

